न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–3, लखनऊ

प्रकीर्ण वाद संख्या 6358/2022

नृपेन्द्र पाण्डेय बनाम राहुल गांधी व अन्य।
थाना–हजरतगंज, लखनऊ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा: 156(3) द0प्र0सं0

दिनांक: 23.12.2022

प्रार्थना पत्र आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रार्थी नृपेन्द्र पाण्डेय के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा **156(3)** द0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण राहुल गांधी व अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर विवेचना का आदेश पारित करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी दिनांक 17.11.2022 को अपने घर उपरोक्त पते पर टी0वी0 पर समाचार देख रहा था। विपक्षी राहुल गांधी जुडे हुए भारत को पुनः जोडने की बात करकर पद यात्रा कर रहे है। यात्रा के दौरान विपक्षी जान बूझकर सोची समझी रणनीति और षडयंत्र के तहत दिनांक 17.11.2022 को अकोला महाराष्ट्र में समाज में वैमनस्यता और द्वेष फैलाने की मंशा के प्रयोजनार्थ राष्ट्रवादी विचारधारा के महानायक कांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर जी को अंगेजों से पेंशन लेने वाला अंग्रेजों का नौकर बताया। विपक्षी ने बी0डी0सावरकर के व्यक्तित्व पर अनर्गल दोषारोपण करते हुए प्रेस कान्फ्रेंस की थी। जिसमें महानायक वी0डी0सावरकर जी के विरूद्ध उपरोक्त संबोधन किए। जिसकी पी0डी0 पत्रावली में संलग्न है। राष्ट्रवादी विचाराधारा के महानायक कांतिवीर दामोदर सावरकर स्वतंत्रता इतिहास में अमरनायक, निडर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मां भारती को अंग्रेजो की गुलामी से मक्ति दिलाने के लिए अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार सहे। उनके लिए विपक्षी ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए सावरकर जी का अपमान किया है। विपक्षी ने अनर्गल दोषारोपण आदि सावरकर जी के प्रति हीनभावना फैलाने के लिए घृणित उच्चारण किये, जिसको समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इस बात की शिकायत प्रार्थी/आवेदक द्वारा थानाध्यक्ष हजरतगंज व अन्य उच्चाधिकारियों, से की गयी है। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, पंजीकृत डाकटिकट, जनसुनवाई केन्द्र की लिखित प्रतिलिपि, पेन ड्राइव, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के संपादकीय जागरण का मूल संस्करण की प्रति, श्रीमान थानाध्यक्ष हजरतगंज, जनपद लखनऊ को भेजे गये पत्र की छायाप्रति व थाने की आख्या, आधार कार्ड की छायाप्रति व अन्य प्रपत्र दाखिल किया गया है।

संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना–पत्र के संबंध में विपक्षी के विरूद्ध थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि विपक्षीगण के अपराध को साबित करने के पर्याप्त साक्ष्य उनके पास हैं जो वह आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। मामला परिवादी के शारीरिक व मानसिक आघात से संबंधित है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को मुकदमे की, गवाहान की, मुल्जिमान आदि सभी की जानकारी है, उक्त परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा इस मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर आगे नियमानुसार कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा।

माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2007(59) ए0सी0सी0 50 739(इलाहाबाद खंडपीठ) एवं रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001(43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद खंडपीठ)** के प्रकाश में उक्त प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। वास्ते बयान परिवादी धारा 200 द0प्र0सं0 दिनांक 09.01.2023 को पेश हो।

[redacted]

(अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–3
लखनऊ।

WWW.LIVELAW.IN